

आदेश

विषय :- रणथम्भौर बाघ परियोजना में गाईड फीस वृद्धि करने के संबंध में।

इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 17307 दिनांक 24.06.2011, क्रमांक 769 दिनांक 15.09.2016 एवं 1581-1590 दिनांक 27.08.2019 द्वारा पर्यटन अनुज्ञा व्यवस्था में गाईड शुल्क व वाहन शुल्क निर्धारित की गई थी। रणथम्भौर बाघ आरक्षित के लिये गाईड शुल्क में निम्नानुसार वृद्धि की जाती है :-

क.सं.	विवरण	वर्तमान दर	नयी दरें
1	हॉफ डे गाईड फीस	784	862
2	फुल डे गाईड फीस	1184	1302

उक्त दरें 1 अक्टूबर, 2021 से लागू होंगी।

(अरिन्दम तोमर)

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक
एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ.3(10)पार्ट-II/मु.व.जी.प्र./2019/3169-71

दिनांक: 27/9/21

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ), राजस्थान, जयपुर को सूचनार्थ।
2. मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव एवं क्षेत्र निदेशक, रणथम्भौर बाघ परियोजना, सवाईमाधोपुर को पालनार्थ।
3. श्रीमती सोनिया चतुर्वेदी, संयुक्त निदेशक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, योजना भवन, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि पर्यटक अनुज्ञा हेतु ऑनलाईन बुकिंग व्यवस्था में उपरोक्तानुसार शुल्क सम्मिलित करें।

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक
एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक,
राजस्थान, जयपुर

ok
27/9/21